

यूपीएसआईडीए काम्प्लेक्स A-1/4. लखनपुर

कानपुर-208024

दूरमाभ : 2592851-53 (PBX) फैक्स - (0512) 2580797

dualist : www.upsidc.com

ई.मेल 💠

feedback@upsidc.com

नंदर्भ कं 37 º 7 - 37/º /यूपीसीडा/आईए/पालिसी वाल्यूम-17

दिनांक 16-8-19

कार्यालय-आदेश

औद्योगिक भूखण्डों के समयविस्तारण के प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में प्रदत्त अधिकारों में आंशिक संशोधन करते हुए भूखण्ड आबेटन/हस्तांतरण की शर्तों के अनुसार इकाई स्थापना हेतु अनुमन्य समय सीमा के समाप्त होने के उपरान्त मात्र प्रथम 01 वर्ष तक का समयविस्तारण गुण-दोष के आधार पर अपने स्तर से प्रदान कियं जाने हेतु क्षेत्रीय प्रबन्धकों / परियोजना अधिकारी को अधिकृत किया जाता है। उपरोक्तानुसार समययिस्तारण प्राप्त करने हेतु मात्र वही आवंटी/इस्तांतरी अर्ह होंगे जिनके द्वारा निम्न शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया हो :-

- आवंटी द्वारा पद्दाविलेख निष्पादित करा लिया गया हो।
- आवंटी द्वारा नियमानुसार कब्जा प्राप्त कर लिया गया हो।
- आवंटी द्वारा आवश्यक प्रपत्रों / देय शुल्क सहित भवन मानधित्र स्वीकृति हेतु प्राधिकरण को प्रस्तुत कर दिया गया हो।

अनुमन्य किये जा रहे समयदिस्तारण के शुल्क की गणना कार्यालय आदेश संख्या 2043-46 / एसआईडीसी / आईए / पॉलिसी थॉल्युम-17 दिनांक 18.12.2018 के प्रस्तर 1(क) में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी छाट्छा

संदर्भ संव

/यूपीसीडा/आईए/पालिसी वाल्यूम-17 प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीएसआईडीए, नुख्यालय भवन, कानपुर।

उप महाप्रबन्धक (औठमें०) / सहाठ महाप्रबन्धक(औठभेठ), यूपीएसआईडीए, मुख्यालय भवन, कानपुर। 2

त्तमस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक / परियोजना अधिकारी, यूपीएसआईडीए ! 3

प्रभारी, कम्प्यूटर अनुभाग, यूपीएसआईडीए, मुख्यालय, कानपुर।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी

दिनांक